विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राश्ट्रीय पुरस्कार 2015 हेतु आवेदन आमंत्रित करना

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2015 हेतु निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित है:–

(i). सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी/स्वनियोजित

(ii). (क) सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं तथा प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी

(iii). विकलांग व्यक्तियों के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा संस्था

(iv). प्रेरणास्रोत पुरस्कार

(v). विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधारने में निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रवर्तन/उत्पाद विकास

(vi). विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण के सृजन में उत्कृष्ट कार्य

(vii). पुनर्वासन सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिला

(viii).राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी

(ix).श्रेष्ठ सृजनशील व्यस्क विकलांग व्यक्ति

(x). श्रेष्ठ सृजनशील विकलांग बच्चा

(xi). श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस

(xii).सर्वोत्तम सुगम्य वैबसाइट

(xiii).विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वोत्तम राज्य

(xiv).सर्वोत्तम विकलांग खिलाड़ी

2. निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यार्थियों अथवा संस्थापनों अथवा संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। उपर्युक्त पुरस्कारों की प्रत्येक श्रेणियों के मानदंड, और राष्ट्रीय पुरस्कार योजना का पूर्ण ब्यौरा मंत्रालय की वैबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर देखा जा सकता है।

3. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी आवेदन निर्धारित प्रपत्र में केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में संबंधित

मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से ऐसी सरकार/प्रशासन/उपक्रम के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से ही भेजें।

4. अन्य ऐसे मामलों में (स्वरोजगार सहित, जो निजी क्षेत्र के संगठन/असंगठित क्षेत्रक और खिलाड़ियों) आवेदन, निम्न में से किसी एक की संस्तुति के माध्यम से भेजें:–

- संबधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के विभाग जो विकलांगता मामलों को देखते हैं।
- मंत्रालय/विभाग जो संबंधित विषय अथवा क्षेत्र से संबंधित हैं।
- राष्ट्रीय संस्थान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता अथवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन) जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित हैं।
- प्रधान सचिव/संबंधित राज्य के कल्याण सचिव
- संबंधित जिला कलैक्टर
- विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण हेतु पूर्व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता

5. आवेदन पैरा 3 और 4 के माध्यम से आवेदन भेजें अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. निर्धारित आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात होने चाहिए:–

- दो पासपोर्ट साइज फोटो (अलग–अलग मामलों में)
- संक्षेप में उपलब्धियों सहित बायो–डाटा और उसके समर्थन में दस्तावेज : और
- प्रशस्ति प्रारूप (एक पृष्ठ से ज्यादा नहीं)

7. संस्तुत और सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन श्री ओ.पी. डोगरा, निदेशक, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा सं. 519, खण्ड – बी–2, 5वां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली – 110003 को **31 जुलाई, 2015 तक भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन और/अथवा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

***